न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 191/2020
संतोष अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी चंगी नाका रोड, चिडावा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.10.2020 बअदालत तहसीलदार चिडावा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम संतोष अग्रवाल, मुकदमा नं0 06/2020 अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित :–

1. श्री अमित कुमार शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अनुसार संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चिडावा ने दिनांक 10.09.2020 को अपीलान्ट को पटवार हल्का अरडावता की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये। अपीलान्ट ने दिनांक 29.10.2020 को पत्रावली मे जबाब प्रस्तुत किया तथा बहस हेतु समय चाहा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये उसी दिन दिनांक 29.10.2020 को अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना एवं विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया एवं ग्राम खेमू की ढाणी की भूमि खसरा नं0 14 कुल रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी–2 मे से 0.11 हैक्टर पर से बेदखल करने के आदेश दिये एवं अपीलान्ट पर शास्ति भी अधिरोपित की। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.10.2020 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड तथा तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया है एवं ना ही इस संबंध मे कोई निष्कर्ष दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आर्डर नही है। अपीलान्ट ग्राम खेमू की ढाणी तहसील चिडावा मे स्थित भूमि खसरा नं0 14 रकबा 0.11 हैक्टर मे अतिचारी नही है बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन को विधिवत् रूप से क्रय कर अपीलान्ट का उस पर विधिक कब्जा है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी [illegible] कार्यवाही की जा सकती है परन्तु उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 14 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी [illegible] खातेदारी मन्दिर माफी श्री रघुनाथजी के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित [illegible] ना ही अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। [illegible] भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। विवादित जमीन खसरा नं0 933 जिसके वर्तमान खसरा नं0 14 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम खेमू की ढाणी तहसील चिडावा संवत् 2012 से 2015 की गिरदावरी मे चिरंजीलाल पुत्र पितराम ब्राह्मण का नाम बतौर कृषक/उपकृषक के रूप मे दर्ज है तथा चिरंजीलाल के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार उसके पुत्र राजेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्मण कृषक/उपकृषक के रूप मे दर्ज है। संवत् 2030 से 2034 की गिरदावरी मे भी राजेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल बतौर कृषक/उपकृषक के रूप मे दर्ज है। तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड मे काफी वर्षो तक चिरंजीलाल पुत्र पितराम का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रहा है। उसके बाद राजस्व रिकार्ड मे यह भूमि त्रुटिवंश मंदिर रघुनाथजी के नाम दर्ज हो गई जबकि वास्तविकता मे यह भूमि चिरंजीलाल पुत्र पितराम तथा उसके बाद उसके उतराधिकारियों की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। यदि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि खसरा नं0 14 रकबा 0.87 हैक्ट0 को मंदिर की जमीन भी माना जाता है तब भी मंदिर का पुजारी, मंदिर के वेलफेयर के लिए जमीन को विक्रय कर सकता है। इसी अनुसार अपीलान्ट को जमीन के कुछ हिस्से का विक्रय किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे इस प्रकरण मे धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट लागू नही होती। उपरोक्त जमीन राजकीय भूमि नही है। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का तथा उसके सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रकिया के आधार पर गत काफी वर्षो से काबिज अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलान्ट को सुना ना ही पत्रावली पर बहस सुनी गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 29.10.2020 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान नजीर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.04.2004 मल सिहं बनाम राजस्थान सरकार की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट खान खेमू की ढाणी तहसील चिडावा मे स्थित भूमि खसरा नं0 14 रकबा 0.11 हैक्टर मे अतिचारी नही है बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन को विधिवत् रूप से क्रय कर अपीलान्ट का उस पर विधिक कब्जा है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि खसरा नं0 14 रकबा 0.87 हैक्ट0 को मंदिर की जमीन भी माना जाता है तब भी मंदिर का पुजारी, मंदिर के वेलफेयर के लिए जमीन को विक्रय कर सकता है। इसी अनुसार अपीलान्ट को जमीन के कुछ हिस्से का विक्रय किया गया है। प्रस्तुत नजीर के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 सरकारी भूमि पर अतिचार सिवाय चक के रूप मे भूमि दर्ज थी। मामला निर्णत करने हेतु तहसीलदार सक्षम है। मन्दिर की खातेदारी भूमि पर अतिचार धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नही की जा सकती। केवल धारा 183 के अन्तर्गत ही उपचार है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग के अधिकारों की रक्षा करने हेतु राज्य दायित्वाधीन है। इसके अलावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां विवादित भूमि के क्रम मे रिकार्ड दुरूस्ति का दावा भी चल रहा है जिसमे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच किये बगैर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 29.10.2020 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार स्पष्ट आदेश है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण के मामलों मे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जावेगी। अतिक्रमण की गई भूमि मंदिर माफी की भूमि है जिसकी रक्षा करना तहसीलदार का दायित्व है। अपीलान्ट द्वारा मंदिर की भूमि पर दुकान तथा डंगा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जिसका उसके कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजी के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को खेनु की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 14 कुल रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बारानी में से 0.11 हैक्टर पर भूमि मन्दिर की खातेदारी में होने से अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अपीलान्ट तथा राजकीय अभिभाषक के तर्क निम्न प्रकार रहे है :–

1. अपीलान्ट का मुख्य कथन यह रहा है कि उक्त भूमि अपीलान्ट की क्रय शुदा भूमि है जिस पर वह काबिज है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.04.2004 मल सिहं बनाम राजस्थान सरकार के अनुसार " मन्दिर की खातेदारी भूमि पर अतिचार धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नही की जा सकती। केवल धारा 183 के अन्तर्गत ही उपचार है। " नजीर अपीलान्ट के अनुसार कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 तहत की जानी चाहिए थी। देवमूर्ति का उपकाश्तकार एक अतिक्रमी (अतिधारी, ट्रेसपासर) की भांति निष्कासित किया जा सकता है उसे खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। जब मूर्ति मंदिर की खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती तो उस पर किया गया कब्जा प्रारम्भ से ही अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
2. इसी क्रम में राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09. 2018 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। " वर्तमान में भूमि की खातेदारी मन्दिर रघुनाथ जी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है, जिसके हकूको की रक्षा हेतु संबंधित तहसीलदार कार्यवाही का अधिकार रखता है। अपीलान्ट द्वारा मन्दिर की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुये बेदखली के आदेश पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना रद्द की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/03/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
चुरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:54 IST
Reason: SelfAttested